शोध मंथन Vol. XVII No.1 Jan.- Mar. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.889 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.25

वैश्विक चुनावी वित्तपोषण मॉडल एवं भारतः चुनावी बांड के बाद के सुधारों की आवश्यकता

प्राप्तिः 08.03.26
स्वीकृतः 20.03.26

25

शुभम् शेखर श्रीवास्तव
शोध छात्र,
मानविकी एंव सामाजिक, राजनीति विज्ञान
श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी
बाराबंकी, लखनऊ
ईमेलः *shubham555ji@gmail.com*

डॉ अनिल कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
मानविकी एंव सामाजिक, राजनीति विज्ञान
श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी
बाराबंकी, लखनऊ

सारांश

यह शोध वैश्विक चुनावी वित्तपोषण मॉडलों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए भारत की चुनावी वित्त व्यवस्था, विशेषकर 2018 से 2024 तक लागू चुनावी बांड योजना, का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि पारदर्शिता, दान सीमाएँ, व्यय नियंत्रण तथा सार्वजनिक वित्तपोषण जैसे तत्व लोकतांत्रिक गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि संतुलित विनियमन जिसमें निजी दान पर सीमा, अनिवार्य प्रकटीकरण तथा राज्य सहायता का संयोजन हो–नीतिगत अधिग्रहण, भ्रष्टाचार और राजनीतिक असमानता को कम करता है। भारत में चुनावी बांड योजना को काले धन पर नियंत्रण और औपचारिक बैंकिंग तंत्र के माध्यम से दान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, किन्तु दानकर्ताओं की गुमनामी और कॉरपोरेट दान पर सीमा हटाए जाने से पारदर्शिता कमजोर हुई तथा सत्ताधारी दल को असमान लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष २०२४ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया जाना भारतीय चुनावी वित्त सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत को जर्मनी और कनाडा जैसे संतुलित मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए पूर्ण प्रकटीकरण, दान एवं व्यय सीमाएँ, सुदृढ़ निगरानी तंत्र तथा आंशिक सार्वजनिक वित्तपोषण को अपनाना चाहिए। केवल विधिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं होंगे; राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत सुदृढ़ीकरण भी अनिवार्य है, ताकि लोकतंत्र धन–आधारित असमानताओं से मुक्त होकर अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सके।

मुख्य शब्द

चुनावी वित्तपोषण, चुनावी बांड, राजनीतिक दान, पारदर्शिता, सार्वजनिक वित्तपोषण, दान सीमा, व्यय नियंत्रण, नीतिगत अधिग्रहण, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

परिचय

चुनावी वित्तपोषण लोकतंत्र की एक मूलभूत संरचना है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने, मतदाताओं तक पहुँचने, नीतिगत संदेश प्रसारित करने तथा संगठनात्मक क्षमता विकसित करने के लिए आवष्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। किन्तु धन का अनुचित उपयोग या अनियमित प्रवाह लोकतंत्र की अखंडता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, नीतिगत अधिग्रहण, असमान प्रतिस्पर्धा तथा विदेशी प्रभाव को बढ़ावा मिल सकता है (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 2016)।

वैश्विक स्तर पर राजनीतिक वित्तपोषण को विनियमित करने के प्रयास पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समान अवसर के सिद्धांतों पर आधारित हैं। विभिन्न देशों में ये मॉडल उनके ऐतिहासिक, संस्थागत और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार भिन्न–भिन्न रूप ग्रहण करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने राजनीतिक वित्तपोषण को लोकतंत्र की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान के राजनीतिक वित्त डेटाबेस के अनुसार, 180 से अधिक देशों में राजनीतिक वित्तपोषण से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विनियमन मौजूद है। इन विनियमों में निजी दान पर प्रतिबंध या सीमा, सार्वजनिक वित्तपोषण, व्यय सीमा, रिपोर्टिंग व्यवस्था तथा निगरानी तंत्र सम्मिलित हैं (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि)।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट 'लोकतंत्र का वित्तपोषण' में राजनीतिक वित्तपोषण को नीतिगत अधिग्रहण के जोखिम से जोड़ा गया है और सार्वजनिक अखंडता के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की अनुशंसा की गई है (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 2016)। वैश्विक चुनावी वित्तपोषण मॉडल मुख्यतः चार आयामों पर आधारित होते हैं–

(१) निजी दान पर प्रतिबंध एवं सीमाएँ,
(२) सार्वजनिक वित्तपोषण की उपलब्धता,
(३) व्यय नियंत्रण, तथा
(४) प्रकटीकरण, निगरानी और दंड व्यवस्था (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि)।

इन मॉडलों को प्रायः वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे बाज़ार–आधारित मॉडल (न्यूनतम विनियमन, उच्च निजी दान), सार्वजनिक उपयोगिता मॉडल (उच्च विनियमन और व्यापक सार्वजनिक धन), राज्य–प्रधान मॉडल तथा अनियमित प्रणालियाँ (विल्टसे, 2019)।

भारत में चुनावी वित्तपोषणः ऐतिहासिक संदर्भ और चुनावी बांड

भारत में चुनावी वित्तपोषण का इतिहास लोकतांत्रिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार–नियंत्रण तथा राजनीतिक समानता के प्रश्नों से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए धन के स्रोत मुख्यतः निजी दान, सदस्यता शुल्क तथा सीमित रूप से राज्य सहायता रहे हैं। किन्तु कॉरपोरेट दान से संबंधित नियमों में समय–समय पर व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.25

यह पूरी प्रक्रिया काले धन, पूँजी–राजनीति गठजोड़ तथा नीतिगत अधिग्रहण जैसी चुनौतियों से निरंतर प्रभावित रही है (लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ, 2024)।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में कॉरपोरेट राजनीतिक दान का विधिक नियमन 1956 के कंपनी अधिनियम से प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कंपनियों और नवगठित कंपनियों को राजनीतिक दान देने से रोका गया तथा प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाया गया। 1960 में कॉरपोरेट दान पर सीमा निर्धारित की गई।

1969 में तत्कालीन सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 293क को निरस्त करते हुए कॉरपोरेट दान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसका घोषित उद्देश्य राजनीति और व्यवसाय के मध्य गठजोड़ को समाप्त करना तथा राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध बनाना था (प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान, 2019)।

हालाँकि इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप पारदर्शी तंत्र विकसित होने के स्थान पर नकद दान, स्मारिका प्रकाशन तथा अन्य अपारदर्शी माध्यमों का विस्तार हुआ।

1985 में इस प्रतिबंध को समाप्त करते हुए कॉरपोरेट दान को पुनः वैध किया गया, किन्तु कुछ नियामक प्रावधानों के साथ। यह परिवर्तन आर्थिक उदारीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था (प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान, 2019)।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट दान को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 7.5 प्रतिशत तक सीमित किया गया, निदेशक मंडल की स्वीकृति अनिवार्य की गई तथा लाभ–हानि खाते में प्रकटीकरण का प्रावधान किया गया। साथ ही, निर्वाचन न्यास व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत दानकर्ताओं की पहचान और राशि का खुलासा अपेक्षित था (द इंडियन एक्सप्रेस, 2024)।

किन्तु 2017 के वित्त अधिनियम द्वारा इन सीमाओं को समाप्त कर दिया गया, जिससे कंपनियाँ असीमित राजनीतिक दान देने में सक्षम हो गईं। साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन कर विदेशी स्रोतों से दान के मार्ग को भी व्यापक किया गया। ये परिवर्तन चुनावी बांड योजना के साथ लागू हुए, जिनका घोषित उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण को "स्वच्छ" बनाना था (स्टिमसन केंद्र, 2024)।

चुनावी बांड योजनाः परिचय और कार्यप्रणाली

चुनावी बांड योजना की घोषणा 2017–18 के केंद्रीय बजट में की गई। 2 जनवरी 2018 को इसे अधिसूचित किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिना ब्याज वाले धारक बांड जारी किए जाते थे। कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी इन बांडों को खरीदकर किसी पात्र राजनीतिक दल को दान दे सकती थी।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- अनामिता – दानकर्ता की पहचान केवल बैंक को ज्ञात रहती थी; राजनीतिक दल तथा जनता को नहीं।
- कोई दान सीमा नहीं – असीमित राशि में दान संभव।
- कर में छूट – दान राशि पर आयकर में छूट।
- सीमित बिक्री अवधि – वर्ष में निर्धारित अवधियों में बांडों की बिक्री।

योजना लागू होने के पश्चात् यह राजनीतिक वित्तपोषण का प्रमुख माध्यम बन गई। लोकतांत्रिक सुधार संघ के आँकड़ों के अनुसार 2019 से 2024 के बीच कुल राजनीतिक दान का लगभग 56 प्रतिशत चुनावी बांडों के माध्यम से प्राप्त हुआ। इनमें से सर्वाधिक हिस्सा एक प्रमुख राष्ट्रीय दल को प्राप्त हुआ, जबकि अन्य दलों को अपेक्षाकृत कम भाग मिला (लोकतांत्रिक सुधार संघ, अविदित तिथि; स्टिमसन केंद्र, 2024)।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2024)

15 फरवरी 2024 को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ (2024) प्रकरण में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख आधार प्रस्तुत किए–

1. यह योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है (भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधार संघ, 2002 का संदर्भ)।
2. अनाम दान पूँजी–राजनीति गठजोड़ को बढ़ावा देते हैं तथा प्रतिदान आधारित लेनदेन की आशंका उत्पन्न करते हैं।
3. कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन द्वारा असीमित कॉरपोरेट दान की अनुमति संविधान के अनुरूप नहीं है।
4. काले धन की रोकथाम हेतु यह उपाय न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन नहीं था; अन्य विकल्प उपलब्ध थे (सर्वोच्च न्यायालय प्रेक्षक, 2024)।

न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि 2019 से जारी सभी बांड लेनदेन का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए, तथा आयोग को निर्देशित किया कि वह इस सूचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करे (भारत निर्वाचन आयोग, 2024)।

मार्च 2024 में जब यह आँकड़े सार्वजनिक हुए, तब अनेक मामलों में यह संकेत मिला कि कुछ कंपनियों ने जाँच, स्वीकृति या नीतिगत लाभ की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दान दिए थे, जिससे प्रतिदान आधारित संबंधों की आशंका प्रबल हुई (द इंडियन एक्सप्रेस, 2024)।

तुलनात्मक विश्लेषण

भारत की चुनावी वित्तपोषण प्रणाली, विशेषकर 2018 से 2024 तक लागू चुनावी बांड योजना के संदर्भ में, वैश्विक लोकतांत्रिक मॉडलों की तुलना में अधिक अपारदर्शी और असंतुलित सिद्ध हुई। वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ प्रकरण में इस योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह मतदाताओं के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(क))का उल्लंघन करती है तथा प्रतिदान–आधारित लेनदेन की संभावना को बढ़ाती है (लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ, 2024)।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार बांड योजना की अवधि में कुल राजनीतिक चंदे का लगभग 56 प्रतिशत भाग गुमनाम दान के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल को 57 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मिला। यह स्थिति राजनीतिक असमानता तथा पूँजी–राजनीति गठजोड़ की प्रवृत्ति को दर्शाती है (स्टिमसन केंद्र, 2024)।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.25

वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ पारदर्शिता, दान सीमाएँ तथा सार्वजनिक वित्तपोषण के संतुलित ढाँचे पर आधारित हैं। लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत देश राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं, जबकि निजी दान पर सख्त सीमाएँ तथा अनिवार्य प्रकटीकरण लागू होते हैं (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि; आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 2019)।

प्रमुख तुलनात्मक बिंदु

भारत (बांड के पश्चात् स्थिति)

दान या व्यय पर कोई प्रभावी सीमा नहीं; कॉरपोरेट दान व्यवहारतः असीमित; पारदर्शिता का अभाव; सार्वजनिक वित्तपोषण नगण्य। इससे सत्ताधारी दल को अनुपातहीन लाभ तथा नीतिगत अधिग्रहण का जोखिम बढ़ता है (द इंडियन एक्सप्रेस, 2024)।

संयुक्त राज्य अमेरिका

बाज़ार–आधारित मॉडल; 2010 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के पश्चात् कॉरपोरेट व्यय पर व्यापक स्वतंत्रता; किन्तु प्रकटीकरण की औपचारिक व्यवस्था। 2024 के चुनावों में अत्यधिक व्यय दर्ज किया गया, परंतु असमानता और गुप्त धन की समस्या बनी रही (प्यू अनुसंधान केंद्र, 2024)।

यूनाइटेड किंगडम

मिश्रित मॉडल; राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा; पूर्ण प्रकटीकरण; स्वतंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निगरानी (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि)।

जर्मनी

सार्वजनिक वित्तपोषण–प्रधान व्यवस्था; मतों के आधार पर अनुदान; दान सीमाएँ; उच्च पारदर्शिता; अपेक्षाकृत कम भ्रष्टाचार (रोड, 2017)।

कनाडा

व्यक्तिगत दान पर सख्त सीमा; सार्वजनिक सहायता; तृतीय–पक्ष व्यय पर नियंत्रण; महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी में वृद्धि (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि)।

तुलनात्मक सारणी

मॉडल प्रकार	प्रमुख देश	योगदान सीमाएँ	व्यय सीमाएँ	सार्वजनिक वित्तपोषण	पारदर्शिता स्तर	प्रमुख जोखिम/लाभ
अनियमित/कमजोर	भारत (बांड पश्चात)	असीमित कॉरपोरेट	नहीं	न्यूनतम	कम	प्रतिदान–आधारित लेनदेन, असमानता, पूँजी–राजनीति गठजोड़
बाज़ार–आधारित	संयुक्त राज्य अमेरिका	व्यापक स्वतंत्रता	नहीं	न्यूनतम	उच्च (प्रकटीकरण)	नीतिगत अधिग्रहण, गुप्त धन
मिश्रित	यूनाइटेड किंगडम	सीमित	हाँ	उपलब्ध	पूर्ण	संतुलित व्यवस्था
सार्वजनिक उपयोगिता	जर्मनी, कनाडा	सख्त सीमाएँ	हाँ	प्रमुख	उच्च	कम भ्रष्टाचार, समावेशिता

इन तुलनाओं से स्पष्ट होता है कि भारत की व्यवस्था कई विकासशील देशों की अनियमित प्रणालियों से मिलती–जुलती रही, जहाँ गुमनाम दान भ्रष्टाचार और असमानता को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत विकसित लोकतंत्रों में सीमाएँ, पारदर्शिता और सार्वजनिक वित्तपोषण का संतुलन लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है (विल्टसे, 2019)।

भारत में सुधारों की आवश्यकता

चुनावी बांड योजना समाप्त होने के पश्चात् भी राजनीतिक वित्तपोशण में पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है। दान मुख्यतः निर्वाचन न्यासों के माध्यम से हो रहा है, किन्तु दान वितरण में असमानता स्पष्ट है (द इंडियन एक्सप्रेस, 2024)।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित निम्नलिखित सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं–

1. पूर्ण प्रकटीकरण एवं डिजिटल अभिलेखः दो हजार रुपये से अधिक के सभी दान का वास्तविक समय में ऑनलाइन प्रकटीकरण; नकद दान पर प्रतिबंध; सभी लेनदेन बैंकिंग माध्यम से (स्टिमसन केंद्र, 2024)।
2. कॉरपोरेट दान पर सीमाः लाभ के निश्चित प्रतिशत (जैसे 7.5 प्रतिशत) तक सीमा पुनः स्थापित की जाए; विदेशी स्रोतों से दान पर कठोर नियंत्रण (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 2016)।
3. राष्ट्रीय निर्वाचन कोष की स्थापनाः सभी कॉरपोरेट दान एक केंद्रीय कोष में संचित हों; निर्वाचन आयोग द्वारा मत–प्रतिशत के आधार पर वितरण, जिससे समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
4. सार्वजनिक वित्तपोषण का विस्तारः मत–प्रतिशत या प्रदर्शन के आधार पर राज्य सहायता; छोटे दानों को प्रोत्साहन; निजी दान पर आंशिक नियंत्रण (प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान, 2017)।
5. व्यय सीमा और सुदृढ़ निगरानीः राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के व्यय पर प्रभावी सीमा; तृतीय–पक्ष प्रचार पर नियंत्रण; निर्वाचन आयोग को प्रवर्तन संबंधी अधिक अधिकार (लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान, अविदित तिथि)।

ये सुधार लोकतांत्रिक अखंडता को सुदृढ़ करेंगे, राजनीतिक असमानता को कम करेंगे तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को नियंत्रित करेंगे। तथापि, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

निष्कर्ष

वैश्विक चुनावी वित्तपोषण मॉडल यह संकेत देते हैं कि पारदर्शिता, दान–सीमा तथा सार्वजनिक वित्तपोषण पर आधारित संतुलित व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसके विपरीत गुमनाम और अनियमित प्रणालियाँ भ्रष्टाचार, असमानता और नीतिगत अधिग्रहण को बढ़ावा देती हैं। भारत में चुनावी बांड योजना की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि गुमनाम दान सत्ताधारी दल को असमान लाभ प्रदान कर सकते हैं तथा मतदाताओं के सूचना अधिकार का हनन कर सकते हैं (लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ, 2024)। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम था, किन्तु व्यापक संस्थागत सुधार अभी शेष हैं।

यदि भारत पूर्ण प्रकटीकरण, दान एवं व्यय सीमाएँ तथा सार्वजनिक वित्तपोषण जैसे उपाय अपनाता है, तो वह जर्मनी या कनाडा जैसे संतुलित मॉडल की दिशा में अग्रसर हो सकता है, जहाँ

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.25

लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा अधिक समावेशी और पारदर्शी है। अन्यथा पूँजी–राजनीति गठजोड़ और असमान प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक मूल्यों को निरंतर क्षति पहुँचाती रहेंगी।

संदर्भ

1. लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ, 2024 आई.एन.एस.सी. 113 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, २०२४)।
2. लोकतांत्रिक सुधार संघ. (अविदित तिथि). पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक प्राप्त दानों का विश्लेषण। उपलब्धः https://adrindia.org/sites/default/files/Analysis_of_Donations_to_Registered_Recognised_Political_Parties_FY_2016-17_to_2021-22.pdf
3. भारत निर्वाचन आयोग. (2024). चुनावी बांड से संबंधित प्रकटीकरण। उपलब्धः https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds
4. यूरोपीय संसद. (2021). यूरोपीय संघ सदस्य देशों में राजनीतिक संरचनाओं का वित्तपोषण। उपलब्धः https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694836/IPOL_STU(2021)694836_EN.pdf
5. लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान. (अविदित तिथि). राजनीतिक वित्त डेटाबेस। उपलब्धः https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database
6. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन. (2016). लोकतंत्र का वित्तपोषण राजनीतिक दलों और चुनाव अभियानों के वित्त तथा नीतिगत अधिग्रहण का जोखिम। आर्थिक सहयोग एवं विकास प्रकाशन। https://doi.org/10.1787/9789264249455-en
7. प्यू अनुसंधान केंद्र. (11 दिसंबर 2024). वर्ष 2024 के वैश्विक चुनावः राजनीतिक परिवर्तन के वर्ष से प्राप्त निष्कर्ष। उपलब्धः https://www.pewresearch.org/global/2024/12/11/global-elections-in-2024-what-we-learned-in-a-year-of-political-disruption
8. रोड, सी. (2017). लोकतंत्र के वित्तपोषण हेतु आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का रूपरेखा मॉडल। डाइस रिपोर्ट, 15(2)। उपलब्धः https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2017-2-rhode-june.pdf
9. स्टिमसन केंद्र. (२०२४). भारत की चुनावी बांड दुविधा। उपलब्धः https://www.stimson.org/2024/indias-electoral-bond-conundrum
10. प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान. (2019). भारत में चुनावी वित्तपोषण कॉरपोरेट दान की समीक्षा। उपलब्धः https://www.orfonline.org/expert-speak/financing-elections-india-scrutiny-corporate-donation-49750
11. सर्वोच्च न्यायालय प्रेक्षक. (2024). चुनावी बांड योजना की संवैधानिकता। उपलब्धः https://www.scobserver.in/cases/association-for-democratic-reforms-electoral-bonds-case-background

12. द प्रयास इंडिया. (2025). चुनावी बांड के बाद चुनावी वित्तपोषण। उपलब्धः https://theprayasindia.com/electoral-funding-after-electoral-bonds
13. विल्टसे, डी. एल. (2019). दल वित्त प्रणाली की प्रकारिकी विभिन्न देशों में दल वित्त विनियमन और उनकी संस्थागत आधारभूत संरचना का तुलनात्मक अध्ययन। सार्वजनिक चिकित्सा केंद्रीय अभिलेख, पीएमसी 8189065। उपलब्धः https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8189065
14. मुक्त शासन सहभागिता पहल. (2023). राजनीतिक वित्त। उपलब्धः https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/01/OGP_BL_PA_PoliticalFinance_January2023.pdf
15. कार्नेगी अंतरराष्ट्रीय शांति निधि. (2015). तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक वित्त। उपलब्धः https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/posts/2015/07/checkbook-elections-political-finance-in-comparative-perspective
16. राजनीतिक विज्ञान पत्रिका. (अविदित तिथि). भारत में चुनाव और राजनीतिक वित्तपोषण। उपलब्धः https://www.journalofpoliticalscience.com/uploads/archives/7-9-6-573.pdf
17. लुकमान आईएएस विचार मंच. (12 नवंबर 2024). चुनावी व्ययः एक तुलनात्मक विश्लेषण। उपलब्धः https://blog.lukmaanias.com/2024/11/12/election-expenditure-a-comparative-analysis
18. इंडियन एक्सप्रेस. (अविदित तिथि). भारत में राजनीतिक वित्तपोषण न तो निष्पक्ष है और न ही पारदर्शी। उपलब्धः https://indianexpress.com/article/opinion/columns/political-funding-electoral-fund-electoral-trust-electoral-bond-10438389
19. दक्ष इंडिया. (अविदित तिथि). चुनावी बांड युग का अंत। उपलब्धः https://www.dakshindia.org/the-end-of-the-electoral-bond-era
20. फ्रंटलाइन. (अविदित तिथि). निर्वाचन न्यासः कॉरपोरेट धन और राजनीति। उपलब्धः https://frontline.thehindu.com/the-nation/india-electoral-trusts-political-funding/article70639541.ece
21. शांति विज्ञान पाचनिका. (अविदित तिथि). चुनावी वित्त सुधारः शांतिपूर्ण चुनावों की दिशा में मार्ग। उपलब्धः https://warpreventioninitiative.org/peace-science-digest/campaign-finance-reform-a-pathway-to-peaceful-elections
22. द इंडियन एक्सप्रेस. (2024). चुनावी बांड डेटा से कॉर्पोरेट दान और नीतिगत लाभ के संबंधों पर उठे सवाल. द इंडियन एक्सप्रेस।